दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 05.02.2024
निर्णय उद्घोषित: 26.04.2024

सि.वा. (वाणि.) 648/2021, अंतर.आ. 16573/2021, अंतर.आ. 3015/2022

ए.बी.बी. इंडिया लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: श्री अरविंद के. निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मनोज, सुश्री अपर्णा सिन्हा, श्री हर्षित गुप्ता, सुश्री वर्षा अग्रवाल, अधिवक्तागण

बनाम

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ....प्रतिवादी

द्वारा: श्री बलबीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री याशीष चंद्र, श्री वरुण कुमार टिकमाणी, श्री शिवम शर्मा, प्रतिवादी सं. 1 और 2 के लिए अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री जसमीत सिंह

निर्णय

अंतर.आ.सं. 3015/2022

1. यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (सामूहिक रूप से "***प्रतिवादीगण***") की ओर से दायर वादपत्र को नामंजूर करने की मांग करने वाला आवेदन है।

<u>संक्षिप्त पृष्ठभूमि</u>

2. वर्तमान वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ संविदा-भंग और नुकसान के लिए दायर किया गया है। वर्तमान वाद में महत्वपूर्ण प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:-

> *"**क.** यह घोषणा करते हुए आदेश पारित करें कि प्रतिवादी जून 2017 एम.ओ.एम. के अनुसार स्वीकृत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं;*
>
> *ख. प्रतिवादीगण को 29 जून, 2017 की बैठकों के कार्यवृत्त के निबंधन और शर्तों को भंग करने और उसके तहत वादी को देय राशि के दुर्विनियोग के लिए वादी को 193,14,90,933/- रूपये (एक सौ तिरानबे करोड़ चौदह लाख नब्बे हजार नौ सौ तैंतीस रूपये मात्र) की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करें;*
>
> ***ग.** प्रतिवादीगण को भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक वादी को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करें।"*

3. वादपत्र में निम्नानुसार कहा गया हैः-

4. उत्तर प्रदेश राज्य में मैनपुरी में 765 के.वी. एस/सी मैनपुरी, बारा लाइन के उप-स्टेशन तथा 765 के.वी./400 के.वी. ए.आई.एस. सहित संबंधित योजना/कार्य की विद्युत परियोजना के प्रारंभ करने और क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ (**"परियोजना"**), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन

लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) (**"यू.पी.पी.टी.सी.एल."**) ने 2009 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात् साउथ-ईस्ट यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (**"एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल."**) नामक एक विशेष कंपनी बनाई।

5. 2009 और 2011 के बीच किसी समय, परियोजना पर काम करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं, जिसमें इसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (***"इसोलक्स"***) सफल बोलीदाता के रूप में उभरा और परियोजना के लिए निविदा प्रदान की गई।

6. नवंबर 2011 में, वादी कंपनी को इसोलक्स और सी.एंडसी. कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बीच एक अनिगमित संयुक्त उद्यम, आई.सी.आई.-सी.एंडसी. मैनपुरी जेवी (***"जे.वी."***) द्वारा परियोजना के लिए सिविल कार्यों सहित डिजाइन, आपूर्ति, परिवहन, निर्माण, परीक्षण और चालू करने के लिए लगाया गया था। इसके बाद, पक्षकारगण (यानी जे.वी. और वादी) ने दिनांक 18.11.2011 को कुल अनुबंध मूल्य 912,00,00,000/- रुपये के, तीन अलग-अलग अनुबंध किए, अर्थातः

क) *सिविल कार्य के लिए 94,50,00,000/- रूपये की राशि का अनुबंध*

ख) *17,50,00,000/- रूपये की राशि का सेवा अनुबंध; और*

ग) *8,00,00,00,000/- रूपये (सामूहिक रूप से अनुबंध के लिए संदर्भित) की राशि का आपूर्ति अनुबंध।*

7. उपरोक्त अनुबंधों ने वादी को लक्ष्यों की उपलब्धि पर योजनाबद्ध भुगतान प्रदान किया। इसके अलावा, अनुबंधों में वादी को भुगतान में देरी की स्थिति में काम को निलंबित करने का अधिकार दिया जब तक कि वादी को बकाया राशि प्राप्त नहीं हो जाती है।

8. दिसंबर 2014 में, 11 दिसंबर, 2014 को नवीकरण समझौतों (***"नवीकरण समझौता"***) के द्वारा अनुबंधों का नवीकरण किया गया, जिसके तहत अनुबंधों को आइसोलक्स के पक्ष में सौंपा गया और कुल अनुबंध मूल्य को बढ़ाकर 1068,09,54,211/- रुपये कर दिया गया था।

9. चूंकि वादी को प्राप्त लक्ष्यों के संदर्भ में देय राशि नहीं मिल रही थी, वादी द्वारा अपने दायित्वों का पालन जारी रखने के बावजूद, वादी ने 11 मार्च, 2016 को निलंबन का नोटिस जारी करके परियोजना के काम को निलंबित कर दिया। इसके बाद, मार्च 2016 और जून 2017 के बीच, इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.एल. के साथ पक्षकारगण ने वादी को बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न गतिरोध को हल करने के लिए कई बार बैठक की, इन बैठकों के दौरान इसोलक्स द्वारा लगाए गए आरोप कि वादी का काम दोषपूर्ण था, का भी समाधान किया गया।

10. प्रतिवादी सं. 1 के कहने पर, इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के साथ-साथ पक्षकारगण के बीच 21.04.2017, 19.05.2017, 22.05.2017 और 26.05.2017 को बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें बहुत विचार-विमर्श के बाद, पक्षकारगण के बीच करार/समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक बाध्यकारी दस्तावेज का निष्पादन और हस्ताक्षर किया गया, यानी 29 जून, 2017 की बैठक की कार्यवृत्त ("जून 2017 का एम.ओ.एम.") पर प्रतिवादी सं. 1 (अपने लिए और प्रतिवादी सं. 2 की ओर से) हस्ताक्षर किए, एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल., वादी और इसोलक्स द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित, जिसमें भुगतान की विधि और रखरखाव के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जैसा कि पक्षकारगण द्वारा विचार किया गया और सहमति व्यक्त की गई।

11. जून 2017 के एम.ओ.एम., पर पक्षकारगण ने सहमति व्यक्त की कि वादी वाणिज्यिक संचालन तिथि-1 (***"सी.ओ.डी.-1"***) को इस शर्त पर कार्यान्वित करेगा कि उसे परियोजना से मासिक राजस्व से निरंतर और प्रगतिशील तरीके से उसके बकाया का भुगतान किया जाएगा, जो न्यास तथा प्रतिधारण खाते (*"टी.आर.ए."*) में जमा किया गया था और प्रतिवादीगण द्वारा प्रबंधित किया गया था, जब तक कि वादी का बकाया भुगतान नहीं हो जाता है। पक्षकारगण इस बात पर सहमत हुए कि वादी को उसके बकाया के पुरे होने तक हर महीने एक निश्चित राशि (बिना किसी बाधा के) उपलब्ध कराई जाएगी। प्रासंगिक रूप से, इस भुगतान विधि को स्वचालित करने का आशय था, बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाना था और ऐसा कुछ जिसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी पक्षकार द्वारा बदला या रोका नहीं जा सकता था।

12. इस बात पर भी सहमति हुई कि परियोजना द्वारा सृजित मासिक पारेषण शुल्क ("एम.टी.सी./राजस्व") का एक निश्चित हिस्सा वादी को सौंपा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका भुगतान वादी को नियमित रूप से और बिना किसी रुकावट के किया जा सके और इस दिशा में, सभी पक्षकार परियोजना से राजस्व के रूप में प्राप्त राशि का एक निश्चित और सुनिश्चित हिस्सा वादी को देने (स्वामित्व हस्तांतरण के द्वारा) पर सहमत हुए। निर्धारित हिस्से का भुगतान वादी को नियमित अंतराल पर पूर्व-निर्धारित समय अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह भुगतान टी.आर.ए. द्वारा किया जाना था, जिसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

13. वादपत्र में आगे कहा गया है कि टी.आर.ए. (इससे किए जाने वाले सभी संवितरणों/प्रेषणों पर नियंत्रण सहित) पर विधितः और वस्तुतः नियंत्रण,

वादी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, ऋणदाताओं की ओर से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रयोग किया गया था।

14. जून 2017 के एम.ओ.एम. के विभिन्न खंडों पर भरोसा करते हुए, वादी ने वादपत्र में कहा कि प्रतिवादीगण ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुसार वादी को मासिक भुगतान की सुविधा देने का वचन दिया था, क्योंकि वे टी.आर.ए. पर नियंत्रण रखते थे, जो सुविधा निरंतर, पूर्णरूपेण और बिना किसी शर्त के दी जानी थी।

15. जून 2017 में एम.ओ.एम. में हुई समझौता के अनुसार, निम्नलिखित घटनाएं हुईं:-

> ***i.*** *वादी ने 30 जून, 2017 को सी.ओ.डी.-1 के अंतर्गत तत्वों के विद्युतीकरण के लिए तत्परता की जानकारी देते हुए कार्य पूर्ण होने/सौंपने का नोटिस जारी किया।*
>
> ***ii.*** *उसी दिन, प्रतिवादी सं.1 को सौंपा गया नौ एडवांस बैंक गारंटी (ए.बी.जी.) 37,89,51,439/- रूपये की राशि को वादी के पक्ष में जारी किया गया, जिससे वादी का बकाया राशि कम हो गया।*
>
> ***iii.*** *सी.ओ.डी. -1 का ऊर्जायन वादी के साथ किया गया था।*
>
> ***iv.*** *चूंकि वादी ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत सभी शर्तों को पूरा किया था और भुगतान विधि को शुरू करने के लिए उसके तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया था, इसलिए टी.आर.ए. से वादी को 24 नवंबर, 2017 और 23 जनवरी, 2018 को क्रमशः 1,00,00,000 रुपये और 5,00,00,000 रुपये का भुगतान किया गया था।*

16. वादी ने सी.ओ.डी.-1 के ऊर्जायन के लिए आवश्यक सभी कार्य किए, इस प्रकार जून 2017 एम.ओ.एम. के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस तथ्य के बावजूद कि वादी ने सी.ओ डी.-1 से ऊर्जायन प्राप्त की और उसे पूरा किया, फिर भी वादी को जनवरी 2018 के बाद से टी.आर.ए. से

कोई भुगतान नहीं मिला, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान में देरी के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 127,99,28,634/- रूपये का कुल बकाया शेष है।

17. वादी को हाल ही में पता चला है कि सी.ओ.डी.-1 के तहत परियोजना के कुछ तत्वों को 27 अक्टूबर, 2017 से चालू कर दिया गया है और उस तारीख से एम.टी.सी. का भुगतान टी.आर.ए. खाते में कर दिया गया है। इसके अलावा, वादी को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (**"यू.पी.ई.आर.सी."**) द्वारा पारित विभिन्न शुल्क आदेशों का भी पता चला है, जिसमें सी.ओ.डी.-765 के.वी.एस. बारा-मैनपुरी लाइन पारेषण लाइन के उपयोग के लिए एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. को देय शुल्क की दरों को दर्ज किया गया है। इसलिए, वादी के अनुसार, टी.आर.ए. में एम.टी.सी. प्राप्त किए जा रहे हैं। सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध और वादी द्वारा एक्सेस की गई फाइलिंग भी यह दर्शाती है और/या इंगित करती है कि परियोजना सहित एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली का यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा उपयोग/उपभोग के लिए एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. को एम.टी.सी. का भुगतान किया गया है।

18. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने इसोलक्स के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (***"आई.बी.सी."***) की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया, जिसे एन.सी.एल.टी., चंडीगढ़ पीठ ने स्वीकार किया और इसोलक्स के खिलाफ सि.प्र. (आई.बी.) संख्या 97/चंड./हरि./2018 में दिनांक 10.10.2018 के आदेश के द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद, वादी ने 222,42,78,892/- रूपये के "फॉर्म बी" के अनुसार परिचालन लेनदार के रूप में आइसोलक्स के समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा दायर किया। इस दावे की राशि में जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत इसोलक्स से वादी को देय राशि के अलावा और

उससे अलग राशि शामिल थी, जिसमें अनुबंधों के तहत वादी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों और किए गए कार्यों के खिलाफ भुगतान के दावे और उसके संबंध में उसके द्वारा किए गए नुकसान के मुआवजे शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे।

19. समाधान पेशेवर ने 14 मार्च, 2019 को एक संसूचना द्वारा वादी के दावे को केवल 55,76,85,612/- रूपये की सीमा तक स्वीकार और पुष्टि की। इस संसूचना को बाद में वादी द्वारा 2019 की सि.अ. सं. 576/2019 के द्वारा एन.सी.एल.टी., चंडीगढ़ के समक्ष चुनौती दी गई थी।

20. इस बीच, 09 फरवरी, 2019 को, वादी ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुसार इसोलक्स/एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल से लंबित 84,08,20,000/- रूपये (फरवरी 2019 तक) की बकाया राशि को जारी करने का अनुरोध करते हुए इसोलक्स (उनके दिवाला समाधान पेशेवर, श्री विक्रम कुमार के द्वारा) को एक अलग चूक सूचना भेजी।

21. आइसोलक्स को बाद में 6 फरवरी, 2020 को एन.सी.एल.टी., चंडीगढ़ द्वारा परिनिर्धारित करने का आदेश दिया गया था। इस तरह के परिनिर्धारित करने को मंजूरी दिए जाने के बाद, वादी ने लगभग 222,42,78,892/- रूपये की राशि के लिए आइसोलक्स के खिलाफ 6 मार्च, 2020 को परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर किया। जैसा कि पहले बताया गया है, परिसमापक के समक्ष किए गए दावों में जून 2017 के एम.ओ.एम. से उत्पन्न होने वाली राशि के दावे शामिल नहीं थे। हालाँकि, परिसमापक ने परिनिर्धारित में वादी के दावों का गलत आकलन किया कि वे (क) एक परिचालन लेनदार है और (ख) 51,81,40,456/- रुपये तक सीमित हैं। वादी ने परिसमापक के मूल्यांकन के खिलाफ अपील की जो वर्तमान में एन. सी. एल. टी., चंडीगढ़ के समक्ष है।

22. प्रतिवादी सं. 1 ने एन.सी.एल.टी., इलाहाबाद के समक्ष एक वित्तीय लेनदार के रूप में कंपनी याचिका (आई.बी.) सं.107/ए.एल.डी./2019 वाली याचिका द्वारा 2019 में एस.ई.यू.पी.पी.टी. सी.एल.के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही भी संस्थित की। 16 जुलाई, 2020 के आदेश के द्वारा, एन.सी.एल.टी., इलाहाबाद ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की। एक आई.आर.पी. भी नियुक्त किया गया था। आई.आर.पी. ने बाद में एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ परिचालन लेनदार के रूप में वादी के दावों को खारिज कर दिया। वादी ने आई.आर.पी. के फैसले के खिलाफ एन.सी.एल.टी., इलाहाबाद के समक्ष अपील की वह भी उक्त अधिकरण के समक्ष लंबित है।

23. एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ सी.आई.आर.पी. शुरू करने का 16 जुलाई, 2020 का आदेश स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की सेवाओं के बदले में यू.पी.पी.टी.सी.एल. से भुगतान प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि ऋण राशि के लिए एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा पुनर्भुगतान के अलावा, उसे दो अवसरों पर एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के लिए यू.पी.पी.टी.सी.एल. से भुगतान प्राप्त हुआ है, यानी अप्रैल 2018 को 75 करोड़ रुपये और 13 जुलाई, 2018 को 65 करोड़ रुपये और इस तरह के भुगतान को ब्याज, लागत, विलंब, शुल्क आदि के लिए समायोजित किया गया था। उक्त आदेश में एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के बयानों को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि उसे इस तरह के भुगतानों की कोई जानकारी नहीं थी और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उसे इस तरह के लेनदेन के बारे में अंधेरे में रखा गया था। इस प्रकार यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने न केवल एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की ओर से प्राप्त धन को, भेज रहे

हैं, वितरित कर रहे हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के धन को एकतरफा और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की मंजूरी/जानकारी के बिना, अपने स्वयं के बकाया की संतुष्टि के लिए वितरित/उपयोग कर रहे हैं।

24. बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण, वादी ने 13 मई, 2020 को एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से संबोधित एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि अक्टूबर 2017 में सी.ओ.डी.-1 तत्वों को लागू करने के बावजूद, प्रतिवादीगण ने 23 जनवरी, 2018 से कोई भुगतान जारी नहीं करके जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। वादी ने यह भी कहा कि एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और प्रतिवादीगण के चूक के आलोक में, बकाया राशि अब 170,11,03,599/- रूपये है, और यह कि "प्रतिवादी सं. 1 और 2 भी इस राशि के लिए इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं" इस हद तक कि उन्हें वादी के बहिष्कार के लिए टी.आर.ए. से भुगतान और मासिक पारेषण शुल्क प्राप्त हुए हैं।

25. एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने 30 जून, 2020 को उपरोक्त मांग नोटिस पर जवाब भेजा, जिसमें वादी के कार्य के प्रदर्शन के संबंध में चूक/गुणवत्ता के मुद्दों के आधारहीन दावे किए गए, जिन्हें वादी द्वारा पहले ही हल कर दिया गया था और जो किसी भी स्थिति में जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत उत्पन्न बकाया से संबंधित नहीं था।

26. प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादी के मांग नोटिस का जवाब 04 सितंबर, 2020 को पत्र द्वारा दिया। जवाब में, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को भुगतान करने के किसी भी दायित्व का खंडन किया और कहा कि मामला

इसोलक्स/एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. से संबंधित है और उनके खिलाफ दावा किया जाना चाहिए। जवाब में कहा गया कि प्रतिवादी सं. 1 ने परियोजना के लिए प्रमुख ऋणदाता के रूप में वादी और इसोलक्स/एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के बीच गतिरोध को हल करने के लिए बैठकें आयोजित करने की पहल की क्योंकि एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने भुगतान प्रक्रिया निर्धारित करने में समर्थन के लिए उससे संपर्क किया था। इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब में तर्क दिया कि इसके तहत भुगतान करने की "मुख्य जिम्मेदारी" कथित रूप से जून 2017 एम.ओ.एम. के खंड 1 (घ) पर भरोसा करते हुए आइसोलक्स/एसईयूपीपीटीसीएल तक ही सीमित है। इसके अलावा, जवाब में आरोप लगाया गया कि पक्षकारगण के बीच संविदा की कोई गोपनीयता नहीं है।

27. वादी के अनुसार, जून 2017 एम.ओ.एम. के तहत भुगतान करने का दायित्व एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और/या आइसोलक्स का वादी के साथ होने वाले किसी भी और सभी विवादों के बावजूद बना रहेगा और जारी रहेगा, और ऐसा जून 2017 के एम.ओ.एम. के खंड घ में निहित असंदिग्ध गैर-बाधित खंड के कारण है, जिसमें कहा गया है, कि ***"इसमें वर्णित भुगतान प्रक्रिया को किसी भी पक्षकार द्वारा निलंबित या समाप्त या संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि केवल सभी पक्षकारगण के आपसी लिखित समझौते द्वारा (परियोजना के नए निवेशकों, उपयोगिताओं या उपठेकेदारों द्वारा इस एम.ओ.एम. के पक्षकारगण के बीच किसी भी अंतर या विवाद या किसी भी न्यायलय, अधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के बावजूद) जब तक कि ऊपर उल्लिखित सी.ओ.डी-1 के संबंध में वादी को देय सभी राशि वादी को प्राप्त नहीं हो जाती है।"*** इसलिए, इसोलक्स/

एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा कथित देयता और/या इसके संबंध में उठाए गए कोई भी कथित विवाद जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत वादी के अधिकारों को लागु करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं।

28. यह कहा गया है कि जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुसार टी.आर.ए. से वादी को भुगतान सुनिश्चित करने में प्रतिवादी की विफलता के परिणामस्वरूप, वादी का बकाया बढ़कर 193,14,90,933/- रूपये हो गया है जिसमें 127,99,28,634/- रूपये की मूल राशि और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज शामिल है जो 65,15,61,299/- रूपये हैं। प्रतिवादी जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत भुगतान प्रक्रिया का पालन करने में अपनी विफलता के परिणामस्वरूप सीधे तौर पर उपरोक्त राशि/नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं।

29. वाद हेतुक के लिए, वादी का कहना है कि वर्तमान वाद दायर करने के लिए वाद हेतुक पहली बार जनवरी 2018 में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने जून 2017 एम.ओ.एम. के तहत टी.आर.ए. से वादी को उसमें निर्धारित तरीके से भुगतान नहीं किया और/या जारी नहीं किया। आगे हर महीने वाद हेतुक इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रतिवादी जून 2017 एम.ओ.एम. के तहत मासिक भुगतान जारी करने के लिए बाध्य थे और ऐसा करने में वे विफल रहे। इसके बाद वाद हेतुक 04 सितंबर, 2020 को उठा, जब प्रतिवादी सं. 1 ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करते हुए वादी द्वारा उसे सौंपी गई राशि को जारी करने के अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया। वाद हेतुक निरंतर है और जारी है, और तब तक बना रहेगा जब तक कि मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए वर्तमान वाद है।

30. प्रतिवादीगण को 14.12.2021 को नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बयान दायर किए गए थे।

31. इसके बाद, प्रतिवादीगण ने वर्तमान आवेदन यानी 3015/2022 को दायर किया जिसमें वादपत्र को अस्वीकार करने की मांग की गई। दिनांक 08.05.2023 के आदेश के द्वारा, वर्तमान आवेदन पर नोटिस जारी किया गया और आवेदन एवं उसका जवाब दायर किया गया और उसके बाद प्रत्युत्तर भी दायर किया गया।

<u>प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

32. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह का तर्क है कि वादपत्र में प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हेतुक का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि जून 2017 का एम. ओ. एम. एक अस्टांपित दस्तावेज है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (*"1899 अधिनियम"*) की धारा 35 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और वह किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में अस्वीकार्य है। इसके अलावा, 1899 अधिनियम की धारा 35 यह सुनिश्चित करती है कि किसी समझौते से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों को लागू करने से पहले स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाए। अस्टांपित दस्तावेज़ पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि लागू स्टाम्प शुल्क और उस पर जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है। **सन्दर्भ: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1666** के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच पारस्परिक प्रभाव के संबंध पर भरोसा किया गया है जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"41. धारा 35 के निबंधनानुसार, कोई दस्तावेज जो सम्यक रूप से स्टांपित नहीं है, किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में अस्वीकार्य है और उस पर कार्रवाई, पंजीकृत या प्रमाणित नहीं किया जाएगा। धारा 35 के परंतुक के खंड (क) में कहा गया है कि प्रावधान में निहित बाधा को शुल्क और जुर्माने (यदि कोई हो) के भुगतान पर हटा दिया जाता है। पक्षकार या पक्षकारगण उस व्यक्ति को प्रभार्य शुल्क का भुगतान कर सकते हैं जिसे विधि द्वारा या पक्षकारगण की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है। धारा 35 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यह सुनिश्चित करके कि किसी समझौते से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को लागू करने से पहले स्टाम्प-शुल्क का भुगतान किया जाता है, स्टाम्प अधिनियम को बल देता है।"

33. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरा घ के परंतुक पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि जून 2017 का एम.ओ.एम. स्पष्ट रूप से वादी को भुगतान करने के लिए प्रतिवादीगण पर किसी भी दायित्व का आरोप नहीं लगाता है। बल्कि, स्पष्ट रूप से, केवल इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत वादी को देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं, बशर्ते कि यह विधितः बाध्यकारी और कानून में लागू हो। इस प्रकार, वादपत्र में किए गए कथन जून 2017 एम.ओ.एम. की सामग्री के विपरीत हैं। वादी का प्रतिवादीगण से संविदात्मक संबंध नहीं है और उनके बीच संविदा करने का कोई भी इरादा/सहमति नहीं थी।

34. इस प्रकार, प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई भी दावा मौजूद नहीं है। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी वादी को कोई भुगतान करने के लिए कैसे उत्तरदायी हैं। वादी और प्रतिवादीगण के

बीच संविदात्मक संबंध की मौजूदगी को दिखाने के लिए जून 2017 के एम.ओ.एम. से वादपत्र में कुछ भी उद्धृत नहीं किया गया है। वह इस संबंध में वादी द्वारा इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. को संबोधित दिनांक 09.02.2019 और 11.02.2019 के नोटिसों पर भी भरोसा किया है।

35. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान वाद दायर करने के बाद भी वादी ने एक अन्य न्यायिक मंच पर फिर से वही रुख अपनाया है कि जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत केवल इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ही संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण के समक्ष दायर सि.अ. (ए.टी.)(आई) संख्या 1020/2022 (ए.बी.बी. अपील) में, वादी ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कहा है:

> *"....विशेष रूप से, अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी सं.1 के समक्ष किया गया दावा अपीलकर्ता और कॉर्पोरेट देनदार के बीच संविदात्मक समझौतों पर आधारित था, जो दिनांक 21.06.2017 (इसके बाद 'बाध्यकारी एम.ओ.एम.' के रूप में संदर्भित) की बैठक के कार्यवृत्त में समाप्त हुआ, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार (मैसर्स इसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ (इसके बाद 'इसोलक्स' के रूप में संदर्भित) ने अपीलकर्ता की 1,99,36,48,469/- रूपये की बकाया राशि को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार और इसोलक्स ने अपीलकर्ता के सभी बकाया भुगतान के प्रति संयुक्त और कई दायित्व उठाए...."*

36. इस प्रकार, प्रत्यक्षतः, केवल इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. वादी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, यदि कोई हो (एम.ओ.एम. को लागू करने योग्य समझौता घोषित किए जाने के अधीन), और

पक्षकारगण के बीच कभी भी यह सहमति नहीं हुई कि इसमें प्रतिवादीगण पर भी कोई देनदारी होगी।

37. वादी का केवल आइसोलक्स के साथ संविदात्मक संबंध है और आइसोलक्स ने वादी का एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के स्वामित्व वाली परियोजना के संबंध में किए जाने वाले काम के एक हिस्से का उप-अनुबंध किया है। प्रतिवादी के साथ बैंक ऑफ इंडिया (***"बी.ओ.आई."***) (***सामूहिक रूप से "ऋणदाताओं"***) केवल एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के ऋणदाता हैं। जून 2017 का एम.ओ.एम. उक्त पक्षकारगण यानी वादी, आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के बीच का मामला है। केवल आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत वादी को देय राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं, बशर्ते कि यह विधितः बाध्यकारी और कानून में लागू करने योग्य हो। याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

38. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क दिए कि प्रतिवादी सं. 1 परियोजना के विकास के उद्देश्य से प्रमुख ऋणदाता एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा किए गए इस तरह के अनुरोध पर वादी को एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के टी.आर.ए. खाते से वितरण की सुविधा/सहमति देने की सीमित भूमिका थी। उक्त भुगतान एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा किए गए अनुरोध पर किए गए थे, जिन्हें प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सहमति दी गई थी, जिस पर एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा बी.ओ.आई. को जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस प्रकार, प्रतिवादी सं. 1 के लिए वादी को टी.आर.ए. से भुगतान के संवितरण की सुविधा/सहमति के लिए, एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा अनुरोध किए जाने की आवश्यकता थी। एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के दिनांक

30.06.2020 के जवाब के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उसके विचार में, वादी जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत दायरे और समय-सीमा दोनों के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता/दायित्वों का का उल्लंघन किया था। इस प्रकार, प्रतिवादीगण ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत किसी भी कथित दायित्व का उल्लंघन नहीं किया है, जब एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. स्वयं वादी के साथ आपसी विवाद के कारण वादी को भुगतान करने के लिए सहमत नहीं था।

39. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क दिए कि यह सामान्य कानून है कि जिस संविदा को लागू करने की मांग की जाती है, उसके पक्षकारगण आवश्यक पक्षकारगण होते हैं। इसके अलावा, यदि वादी उनके अभियोग का विरोध करता है तो न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। इस संबंध में, ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (2010) 7 एस.सी.सी. 417,*** पर भरोसा किया गया है।

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क दिए कि यह वादी द्वारा फ़ोरम शॉपिंग का स्पष्ट मामला है, जिसने विधि की प्रक्रिया को दरकिनार करके और दुरुपयोग करके खुद को अनुचित रूप से समृद्ध करने के लिए विभिन्न फ़ोरम पर विभिन्न पक्षकारगण के खिलाफ जून 2017 एम.ओ.एम. के आधार पर इसी तरह के दावे दायर किए हैं। वादी पहले ही अन्य बातों के साथ-साथ कथित अनुबंध/जून 2017 एम.ओ.एम. के तहत धन के भुगतान की समान राहत के लिए एन.सी.एल.टी./एन.सी.एल.ए.टी. से संपर्क कर चुका है। हर्जाने की मांग करने वाली वर्तमान वादपत्र उस दावे के लिए पोषणीय नहीं है जिसके लिए वादी द्वारा पहले ही वसूली की कार्यवाही का सहारा लिया जा चुका है। यह विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा। इस प्रकार, वादी

द्वारा विधिक प्रक्रिया प्रक्रिया और फ़ोरम शॉपिंग के दुरुपयोग के आधार पर शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए।

41. इसके अलावा, वादपत्र/वाद के पठन से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी ने सत्य का दमन और असत्य का सुझाव, चतुराई से मसौदा तैयार करके और जून 2017 के एम.ओ.एम. की गलत व्याख्या करके, प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हेतुक का भ्रम पैदा करके इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है, जब ऐसा कोई वाद हेतुक मौजूद नहीं है और गलत तरीके से चित्रित किया है कि वह राहत/हर्जाने का हकदार है जैसा कि जून 2017 के एम.ओ.एम. के प्रतिवादीगण द्वारा कथित अनुबंध के कथित उल्लंघन के लिए मांगा गया है, ***के. अकबर अली बनाम के. उमर खान और अन्य, (2021) 14 एस.सी.सी. 51*** पर भरोसा किया गया है।

42. अंत में, श्री सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि वर्तमान वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (सी.सी. अधिनियम, 2015) की धारा 2 (ग) (vi) के तहत वाणिज्यिक क्षेत्राधिकार के दायरे और क्षेत्र में नहीं आता है, ताकि इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। धारा 2 (ग) (vi) निविदाओं सहित निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंधों से संबंधित है। निस्सन्देह, वादी और प्रतिवादीगण के बीच कोई निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंध नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, वर्तमान वाद विधि द्वारा वर्जित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

43. श्री बलबीर सिंह द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों का खंडन करने के लिए, वादी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अरविंद निगम, आवेदन का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जून 2017 का

एम.ओ.एम. एक स्वतंत्र समझौता है और यह एक मौखिक समझौता है जिसे लेखबद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण पर वादी को 5.61 करोड़ रुपये का मासिक भुगतान जारी करने का स्पष्ट और स्वतंत्र दायित्व है। इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.एल. के आई.आर.पी./परिसमापक के समक्ष वादी के दावे अलग-अलग दावे हैं।

44. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत किया कि जून 2017 के एम.ओ.एम. पर इसोलक्स, एस.ई.यू.पी.पी.टी.एल., वादी और प्रतिवादी सं. 1 (इसमें अपनी ओर से और साथ ही प्रतिवादी सं. 2 की ओर से) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जून 2017 के एम.ओ.एम. में प्रतिवादी सं. 1 को "पक्षकार", "सहभागी" या "हस्ताक्षरकर्ता" के रूप में वर्णित किया गया है। जून 2017 के एम.ओ.एम. ने प्रतिवादीगण पर बिना किसी रुकावट के और किसी भी पक्षकार से किसी भी मंजूरी, अनुमति या सहमति के बिना प्रति माह 5.61 करोड़ रुपये का भुगतान जारी करने का स्पष्ट दायित्व डाला है। जून 2017 के एम.ओ.एम. पर नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में भुगतान की गई दो किश्तों को जारी करके आंशिक रूप से कार्रवाई की गई है।

45. दिनांक 13.05.2020 के मांग नोटिस के द्वारा, वादी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिवादी 23.01.2018 के बाद से भुगतान जारी करने के अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहे थे। उक्त सूचना में यह भी कहा गया था कि वादी ने जून 2017 के एम.ओ.एम. के तहत सी.ओ.डी. प्राप्त करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है और आगे यह कि परियोजना चालू है और टी.आर.ए. खाते में धन प्राप्त किया जा रहा है। प्रतिवादी के दिनांक 04.09.2020 के जवाब में उपरोक्त तथ्यों का कोई स्पष्ट खंडन नहीं है, लेकिन इसने केवल यह कहते हुए अपने दायित्व से बचने की कोशिश की कि देनदारी का निर्वहन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी

आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. पर थी और और इसने झूठ कहा कि उपरोक्त दोनों पक्षकारगण के अनुरोध के बिना, वह कोई भुगतान जारी नहीं कर सकता है।

46. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत किया कि 06.02.2020 के आदेश द्वारा, आइसोलक्स को परिनिर्धारित करने का निर्देश दिया गया था और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की दिवालिया कार्यवाही 16.01.2020 को शुरू हुई थी। इसके बाद, एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की समाधान योजना को 15.06.2022 को मंजूरी दी गई। वादी का रुख यह है कि वर्तमान वाद के तहत दावा एक अलग दावा है और इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय का वाणिज्यिक न्यायालय संविदा-भंग से उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवाद पर न्यायनिर्णयन करनेवाला एकमात्र फोरम है। इसलिए, किसी भी फोरम शॉपिंग का कोई प्रश्न ही नहीं है।

47. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आई.बी.सी. की धारा 63 सिविल न्यायालय को उन मामलों में जाने से रोकती है जिनमें एन.सी.एल.टी. का अधिकार क्षेत्र है। आई.बी.सी. की धारा 239 का भी यही प्रभाव है। चूँकि एन.सी.एल.टी. के पास संबिदा-भंग के कारण हर्जाने के वाद दायर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए वर्तमान वाद आई.बी.सी. की धारा 63 और 211 द्वारा वर्जित नहीं है।

48. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत किए कि प्रतिवादीगण ने तर्क दिया है कि चूंकि अंतिम भुगतान प्रतिवादीगण द्वारा जनवरी 2018 में किया गया था, इसलिए 13.12.2021 को दायर किया गया वाद समय-सीमा द्वारा वर्जित है। वादपत्र के अनुसार, वाद हेतुक जारी है। जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुलग्नक-घ में प्रतिवादीगण द्वारा फरवरी 2020 तक भुगतान करने का प्रावधान किया गया है और देरी की स्थिति

में, वह ब्याज वहन करेगा। इसलिए, समय-सीमा के उद्देश्य से फरवरी 2020 से चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ***अवधिकाल के विस्तार के लिए संज्ञान, के संदर्भ में*** *(2022) 3* ***एस.सी.सी.*** *117* में अवधि को शामिल नहीं किया गया कोविड-19 के कारण समय-सीमा के उद्देश्य से 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को बाहर रखा। अतः, वाद समय-सीमा के भीतर है। इसके अलावा, समय-सीमा का प्रश्न कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है; जिसका निर्णय सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के प्रावधानों के तहत तय नहीं किया जाएगा।

49. जहाँ तक अपर्याप्त स्टांपित दस्तावेज़ का संबंध है, श्री निगम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि आवेदन में यह उल्लेख नहीं है कि कौन-सा दस्तावेज़ अपर्याप्त स्टांपित है और यदि आवेदक जून 2017 के एम.ओ.एम. का उल्लेख कर रहा है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त एम.ओ.एम. को किसी भी स्टांपित शुल्क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक मौखिक समझौता है जिसे लिखित कर दिया गया।

50. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वादपत्र के पैरा 45 (ग) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सीसी अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग) (vi) के निबंधनानुसार एक वाणिज्यिक विवाद है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

51. पक्षकारगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोधी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

52. माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के दायरे और क्षेत्र को दोहराया है, विधि

सुस्थापित है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय, केवल वादपत्र को ही वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ देखा जाना चाहिए। इसके अलावा वादपत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और वादपत्र को आंशिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि वादपत्र सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत दी गई किसी भी श्रेणी के तहत आती है, तो ही वादपत्र खारिज की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली, (2020) 7 एस.सी.सी. 366*** में विस्तार से कानून पर चर्चा की गई और प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैः-

> *"23.3.आदेश 7 नियम 11 (क) का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि किसी वाद में कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया जाता है, या नियम 11 (घ) के तहत वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो अदालत वादी को वाद में कार्यवाही को अनावश्यक रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे मामले में, झूठे मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा, ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो।*
>
> *23.4.अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी में [अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1986 पूरक एस.सी.सी. 315। इसके बाद मानवेंद्रसिंहजी रंजीतसिंहजी जडेजा बनाम विजयकुनवेर्बा, 1998 एस.सी.सी. ऑनलाइन गुज 281 : (1998) 2 जी.एल.एच. 823] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रावधान के तहत शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और विफल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे न्यायालय का न्यायिक समय बेकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए निम्नलिखित शब्दों में : (एस.सी.सी. पृ. 324, पैरा 12)*

"12.... ऐसी शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और विफल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के समय पर कब्जा करने की और प्रतिवादी के दिमाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिर पर लटकती तलवार को बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि एक साधारण सिविल मुकदमे में, अदालत आसानी से वादपत्र को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग करती है, अगर वह किसी भी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करती है।"

23.5. हालाँकि, किसी सिविल कार्यवाही को समाप्त करने के लिए अदालत को प्रदत्त शक्ति कठोर है, और आदेश 7 नियम 11 में उल्लिखित शर्तों को सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

23.6. आदेश 7 नियम 11 के तहत, अदालत को यह निर्धारित करने का का दायित्व दिया गया है कि क्या वादपत्र में प्रकथनों की जांच करके वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा करती है [लिवरपूल एंड लंदन एस.पी. एंड आई. एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस आई, (2004) 9 एस.सी.सी. 512], उन दस्तावेजों के साथ पढ़ा गया जिन पर भरोसा किया गया था, या क्या वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित है।

....

23.10. इस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित अभिवाक में दी गई दलीलों और गुणागुण के आधार पर वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आवेदन अप्रासंगिक होगा, और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, या इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। [सोपन सुखदेव साबले बनाम चैरिटी कमिश्नर, (2004) 3 एस.सी.सी. 137]

23.11. आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी यह है कि यदि वादपत्र में किए गए प्रकथनों को, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उसके साथ समग्रता में लिया जाए, तो क्या इसके परिणामस्वरूप डिक्री पारित की जाएगी। यह परीक्षण लिवरपूल और लंदन एस.पी. एंड आई. एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस आई [लिवरपूल एंड लंदन एस.पी. एंड आई एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस आई, (2004) 9 एस.सी.सी. 512] में निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार है : (एस.सी.सी. पृ. 562, पैरा 139)

> *"139. क्या कोई वादपत्र वाद हेतुक का खुलासा करती है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है। लेकिन यह करता है या नहीं, यह वादपत्र को पढ़ने से ही पता लगाया जाना चाहिए। उक्त प्रयोजन के लिए, वादपत्र में किए गए प्रकथन को पूरी तरह से सही माना जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या यदि वादपत्र में किए गए प्रकथन पूरी तरह से सही माने जाते हैं, तो क्या डिक्री पारित की जाएगी।"*

23.12. हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम हेडे एंड कंपनी [हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम हेडे एंड कंपनी, (2007) 5 एस.सी.सी. 614] में न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि किसी वाक्य या परिच्छेद को निकालने और इसे अलग से पढ़ने की अनुमति नहीं है। केवल रूप नहीं, बल्कि सार पर भी गौर किया जाना चाहिए। वादपत्र को शब्दों के जोड़ या घटाव के बिना, जैसा है वैसा ही समझा जाना चाहिए। यदि वादपत्र में आरोप प्रथमदृष्टया वाद हेतुक दिखाते हैं, तो अदालत इस बात की जांच शुरू नहीं कर सकती कि क्या आरोप वास्तव में सच हैं। डी. रामचंद्रन बनाम आर.वी. जानकीरमन [डी. रामचंद्रन बनाम आर.वी. जानकीरमन, (1999) 3 एस.सी.सी. 267; विजय प्रताप सिंह बनाम दुख हरन नाथ सिंह, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 941 भी देखें।"

53. निस्संदेह, जिस प्रमुख दस्तावेज पर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ हर्जाने की मांग करने के लिए निर्भर करता है, वह जून 2017 का एम.ओ.एम. है। जून 2017 के एम.ओ.एम. को देखने पर, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 ने बैठक में भाग लिया और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से भी काम किया क्योंकि प्रतिवादीगण परियोजना के प्रमुख ऋणदाता थे इसलिए उन्होंने संयुक्त रूप से ऋण का 95% हिस्सा चुकाया था। इस संबंध में जून 2017 के एम.ओ.एम. के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं-

> *"ख) पी.एफ.सी. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ("आर.ई.सी.") के साथ संयुक्त रूप से ऋण का 95 प्रतिशत रखते हैं, ने पुष्टि की कि वे परियोजना के प्रमुख ऋणदाता के रूप में कार्य कर रहा हैं और पी.एफ.सी. और आर.ई.सी. की ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं। पी.एफ.सी. ने याद दिलाया कि, 28 मई 2017 को आयोजित पिछली बैठक/सम्मेलन में ए.बी.बी. ने परियोजना के प्रति अपने मौजूदा जोखिम के बारे में बताया था और इसे एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है जो उन्हें आइसोलक्स से बकाया के निपटान पर एक स्पष्ट प्रत्यक्षता प्रदान करें। ए.बी.बी. ने सूचित किया कि सी.ओ.डी. 1 के लिए 180,13,51,099/- रूपये का बकाया था। हालांकि, नवंबर-2017 से शुरू होने होकर प्रति माह 5.61 करोड़ रुपये के क्रमिक भुगतान पर विचार करने के बाद, अनुलग्नक-घ में प्रस्तुत धारणाओं और गणनाओं के आधार पर कुल राशि 199,36,48,469/- रुपये होती है। आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने पुष्टि की कि जैसे ही ए.बी.बी. आइसोलक्स को स्पष्ट निर्देश देगा कि अनुलग्नक-ख में उल्लिखित घटक सक्रिय होने के लिए तैयार हैं, वह भुगतान कर देगा। जहां तक ए.बी.बी. के सी.ओ.डी. 2 से संबंधित बकाया का संबंध है, भुगतान सुरक्षा अब बनाए जाने की*

आवश्यकता है क्योंकि ए.बी.बी. को इस तरह के भुगतान नए निवेशक (अडानी) द्वारा उनके निवेश के बाद नए इक्विटी निवेश से किए जा सकते हैं, जिसे अडानी द्वारा भी अलग से स्वीकार किया गया है (अनुलग्नक-ग)।

ग) एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने सूचित किया था कि लागत में वृद्धि के मुद्दों और आईसोलक्स समूह द्वारा सामना की जा रही वैश्विक कठिनाइयों के के मद्देनजर, न तो ई.पी.सी. ठेकेदार और न ही एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और न ही उनके संप्रवर्तक सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में थे और इसलिए इसे एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा अपने टी.आर.ए. बैंक खाते में प्राप्त किए जाने वाले सी.ओ.डी. 1 के मासिक संचरण शुल्क का हिस्सा सौंपकर ए.बी.बी. को भुगतान सुरक्षा के निर्माण में ऋणदाताओं के समर्थन की आवश्यकता थी। पी. एफ. सी. और अन्य ऋणदाताओं द्वारा संचालित, ए. बी. बी. की ओर ताकि ए. बी. बी. को सी. ओ. डी. 1 प्राप्त करने के लिए काम के दायरे को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसे एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा पी.एफ.सी. और अन्य ऋणदाताओं द्वारा नियंत्रित और संचालित उनके टी.आर.ए. बैंक खाते में ए.बी.बी. की ओर प्राप्त किया जाना था ताकि ए.बी.बी. सी.ओ.डी.1 प्राप्त करने के लिए काम का कार्यक्षेत्र पूरा कर सके। एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने ए.बी.बी. को अग्रिम बैंक गारंटी (ए.बी.जी.) जारी करने का अनुरोध किया था ताकि ए.बी.बी. के जोखिम में कमी की जा सके और सी.ओ.डी. 1 के बाद कंपनी द्वारा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों से प्राप्त होने वाले मासिक पारेषण शुल्क का एक-तिहाई हिस्सा ए.बी.बी. के बकाया का निपटान करने के लिए निर्धारित किया जिसका उपयोग अनुलग्नक-घ में सूचीबद्ध ए.बी.बी. के बकाया 199,36,48,469/- रुपये के निपटान के लिए किया जाना था, जब तक कि पूरी राशि का निपटान नहीं हो जाता।

घ) आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने स्वीकार किया कि अनुलग्नक-घ में बताई गई राशि ए.बी.बी. को देय है जैसा कि उपर सूची संख्या ख)में उल्लेख किया गया है, आइसोलक्स या एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. या किसी अन्य पक्षकार से किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता या प्रमाणन के बिना। यह भी सहमति हुई कि यदि इस एम.ओ.एम. के तहत एम.ओ.एम. पर हस्ताक्षर करने की तारीख से भुगतान में छह महीने से अधिक की देरी होती है, या यदि अनुलग्नक-घ में भुगतान योजना के अनुसार कोई मासिक भुगतान किसी भी कारण से नहीं किया जाता है, तो ए.बी.बी. अनुबंध के तहत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टी.आर.ए. खाते से उन विलंबित/स्थगित भुगतानों पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए पात्र होगा, ऐसा ब्याज भुगतान इसोलक्स या एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. या किसी अन्य पक्षकार से सहमति या प्रमाणन की आवश्यकता के बिना स्वचालित होगा।

....

च) इसके बाद ऋणदाताओं (पी.एफ.सी. और आर.ई.सी., जो संयुक्त रूप से ऋण का 95 प्रतिशत हिस्सा हैं) ने 29 मार्च, 2017 को एक बैठक की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ए.बी.बी. को उनके बकाया 199,36,48,469/- रुपये के निपटान के लिए प्रति माह 5.61 करोड रुपये की निवल राशि उपलब्ध कराई जाए, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ऋणदाताओं ने पी.एफ.सी. के साथ ए.बी.बी. की अग्रिम बैंक गारंटी (ए.बी.जी.) (कुल 37.89 करोड़ रुपये) जारी करने पर भी चर्चा की और सहमति व्यक्त की, यदि ए.बी.बी. सी.ओ.डी. 2 कार्य के लिए 45,42,62,809/- रुपये के संगत अग्रिम को सी.ओ.डी. 1 कार्यों के लिए 199,36,48,469 रुपये के कुल बकाया के आंशिक समायोजन के लिए समायोजित करता है।

............…… ....……..

<u>अंततः, 19 मई-2017, 22 मई-2017 और 26 मई 2017 को कॉन्फ्रेंस कॉल किया गया और चर्चा के बाद, दोनों पक्षकारगण ने निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त कीः</u>

क) पी.एफ.सी. ने निम्नलिखित प्रक्रिया की पुष्टि की जिस पर ए.बी.बी. और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और आइसोलक्स ने सहमति व्यक्त कीः

............…… …..……..........   ....

4. इसके बाद मासिक आधार पर परियोजना के टी.आर.ए. खाते से (परियोजना राजस्व से) सीधे ए.बी.बी. को 5 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका अनुमान एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. द्वारा सी.ओ.डी.-1 प्रारंभिक ऊर्जाकरण के 3 महीने के बाद शुरू होने का अनुमान है। ऐसी तारीख से बिना किसी रुकावट के भुगतान किया जाएगा।

..........……   ....

....

ग) इसमें हस्ताक्षरकर्तागण इस बात की पुष्टि किए कि वे अपने संबंधित संगठनों की ओर से इस वर्तमान दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं। यह एम.ओ.एम. पक्षकारगण के हस्ताक्षर करने के साथ ही लागू होगा और सभी पक्षकारगण पर स्थायी, प्रवतर्नीय और बाध्यकारी होगा। कोई भी पक्षकार जो इस एम.ओ.एम. के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं/दायित्वों को भंग करता है, प्रभावित पक्षकार द्वारा की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

घ) यहाँ वर्णित भुगतान प्रणाली को किसी भी पक्षकार द्वारा निलंबित या समाप्त या संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाय

इसके कि केवल सभी पक्षकारगण के आपसी लिखित समझौते द्वारा (परियोजना के नए निवेशकों, उपयोगिताओं या उपठेकेदारों द्वारा इस एम.ओ.एम. के पक्षकारगण के बीच किसी भी मतभेद या विवाद या किसी भी न्यायालय, अधिकरणों, मध्यस्थों या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी विवाद के बावजूद) जब तक कि उपरोक्त उल्लिखित सी.ओ.डी.-1 के संबंध में वादी को देय सभी राशियाँ ए.बी.बी. द्वारा या तो इस एम.ओ.एम. में प्रदान किए गए प्रणाली के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती हैं, जैसा कि ए.बी.बी. द्वारा लिखित रूप में सहमति और पुष्टि की गई है।

यहां निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इसमें पक्षकारगण (आईसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल.) द्वारा किए गए अभ्यावेदन, वारंटी, समझौतों और प्रसंविदाओं और ए.बी.बी. के प्रति पक्षकारगण (आईसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल.) की देनदारी संयुक्त अलग-अलग हैं और होंगी और कई ए.बी.बी. और पक्षकारगण (आईसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल.) के लिए इस एम.ओ.एम. के तहत ए.बी.बी. को बकाया राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होने के लिए सहमत हैं।

(जोर दिया गया)

54. उपरोक्त पैरा के संयुक्त पठन से पता चलता है कि हालांकि 5.61 करोड़ रुपये का भुगतान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की थी, क्योंकि वे उक्त भुगतान करने में असमर्थ थे, प्रतिवादीगण प्रमुख ऋणदाता होने के नाते टी.आर.ए. खाते से वादी को भुगतान का आश्वासन दिया। सी.ओ.डी.-1 प्राप्त करने की दिशा में वादी के वित्तीय जोखिम को कवर करने के लिए उक्त भुगतान

प्रणाली स्थापित किया गया था। टी.आर.ए. खाता से सी.ओ.डी.-1 के एम.टी.सी. से भुगतान प्राप्त कर रहा था और प्रतिवादीगण द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जा रहा था। प्रतिवादीगण ने सहमति व्यक्त की कि वादी को 199,36,48,469 रुपये के अपने बकाया का निपटान करने के लिए प्रति माह 5.61 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएं, जिसका भुगतान सीधे टी.आर.ए. खाते से किया जाना है। इसोलक्स, एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. और वादी सहित सभी हस्ताक्षरकर्तागण जून 2017 के एम.ओ.एम. की शर्तों पर सहमत हुए, जो उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने या देनदारी का सामना करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त आवश्यकताओं या प्रमाणन के बिना टी.आर.ए. खाते से वादी को प्रति माह 5.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। इसे आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादीगण ने नवंबर 2017 और जनवरी 2018 में भुगतान की दो किश्तें जारी करके जून 2017 के एम.ओ.एम. पर आंशिक रूप से कार्रवाई की।

55. इस स्तर पर, मैं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह द्वारा दिए गए तर्क से खुद को सहमत नहीं कर सकता, जिन्होंने कहा कि वाद में तैयार की गई प्रार्थना को जून 2017 के एम.ओ.एम. के पैरा घ के परंतुक पर भरोसा करने वाले प्रतिवादीगण की तुलना में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

56. वादी ने यह कहने के लिए घोषणात्मक राहत की मांग की है कि प्रतिवादी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और उस भुगतान को करने के लिए प्रतिवादीगण के खिलाफ घोषणा भी की है। जून 2017 के एम.ओ.एम. पर भरोसा करने वाली वादपत्र स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रतिवादी स्वीकार की गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और वादी ने इसके लिए प्रार्थना किया है।

57. पैरा घ के परंतुक पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गए भरोसा को पैरा ग के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। भले ही भुगतान करने का दायित्व इस्लौक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. का है, जून 2017 के एम.ओ.एम. में परिकल्पित किया गया है कि देनदारी टी.आर.ए. खाते से चुकाई जाएगी, जिसे विशेष रूप से प्रतिवादीगण द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। वादपत्र के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि वादी उस टी.आर.ए. खाते से अपने बकाया की वसूली की मांग कर रहा है जो प्रतिवादीगण द्वारा धारण और नियंत्रित किया जाता है।

58. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय इस अदालत को केवल वादपत्र को देखने की आवश्यकता होती है, न कि जून 2017 के एम.ओ.एम. के प्रत्येक प्रावधान की बारीकी से व्याख्या करने और विचार करने की जैसे कि वह पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत विस्तृत साक्ष्य के बाद वाद का निर्णय कर रहा हो। सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के प्रावधान कठोर प्रकृति के हैं और उसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब समग्र रूप से वादपत्र को लिया जाए, जिससे कि वादी के पक्ष में कोई डिक्री पारित न हो।

59. ऊपर उद्धृत वाद में की गई प्रार्थनाओं से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वादी ने यह घोषणा करने की मांग की है कि प्रतिवादी स्वीकार की गई राशि का भुगतान करने के हकदार हैं। इसलिए, क्या प्रतिवादीगण उत्तरदायी हैं या नहीं, यह केवल तभी तय किया जा सकता है जब पक्षकारगण अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दें। इस स्तर पर साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना दस्तावेज़ की बारीकी से व्याख्या करना अनुचित होगा।

60. इसके अलावा, श्री सिंह ने 1899 के अधिनियम की धारा 35 और ***संदर्भ: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और 1899 अधिनियम (पूर्वोक्त) के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच अंतःक्रिया पर*** भरोसा किया है और आग्रह किया कि जून 2017 का एम.ओ.एम. एक अस्टांपित दस्तावेज है और साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

61. जून 2017 के एम.ओ.एम. के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें 19.05.2017, 22.05.2017 और 26.05.2017 को कॉन्फ्रेंस कॉल में हुई मौखिक चर्चाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए, दस्तावेज़ केवल पहले की गई मौखिक चर्चाओं का लिखित रूप है जो जून 2017 के एम.ओ.एम. के पठन से स्पष्ट रूप से सामने आया है।

62. 1899 के अधिनियम की धारा 35 निम्नानुसार हैः-

> *"35. सम्यक रूप से स्टांपित नहीं किए गए लिखत साक्ष्य आदि में अस्वीकार्य है। – शुल्क सहित प्रभार्य किसी भी लिखत को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे विधि द्वारा या पक्षकारगण की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा, जब तक कि ऐसा लिखत सम्यक रूप से स्टांपित नहीं किया गया हैः*
>
> *बशर्ते कि -*
>
> *(क) ऐसा कोई भी लिखत उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा जिसके साथ वह प्रभार्य है, या किसी ऐसे लिखत के मामले में, जो अपर्याप्त रूप से स्टांपित किया गया है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि के साथ-साथ पाँच रुपये का जुर्माना, या जब उचित शुल्क या उसके कम हिस्से*

की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो, तो उस शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि का;"

63. उपरोक्त धारा में कहा गया है कि शुल्क सहित प्रभार्य लिखत को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि वह सम्यक रूप से स्टांपित नहीं है। इसके अलावा परंतुक (क) एक अपवाद है जिसमें कहा गया है कि यदि स्टांप-शुल्क का भुगतान दंड के साथ किया जाता है तो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और ऐसे लिखत को साक्ष्य में लिया जा सकता है।

64. निर्णय अर्थात्, **के संदर्भ में: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और 1899 अधिनियम के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच अंतःक्रिया**, जिस पर प्रतिवादीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा किया है, को टुकड़ों में नहीं पढ़ा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय में जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह नीचे उद्धृत किया गया हैः-

"234. इस निर्णय में प्राप्त निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया हैः

क. वे समझौते जो स्टांपित नहीं हैं या अपर्याप्त स्टांपित हैं, वे स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। इस तरह के समझौतों को प्रारंभ से ही अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं माना जाता है।

ख. गैर-स्टांपित या अपर्याप्त स्टांपित सुधार करने योग्य दोष है;

ग. स्टांपित के बारे में आपत्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत निर्धारण के लिए नहीं आती है। संबंधित न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या मध्यस्थता समझौता प्रथमदृष्टया मौजूद है;

घ. समझौते की स्टाम्पिंग के संबंध में कोई भी आपत्ति मध्यस्थता अधिकरण के दायरे में आती है।

ङ. एन. एन. ग्लोबल 2 (पूर्वोक्त) और एस.एम.एस. टी एस्टेट्स (पूर्वोक्त) में निर्णय को नामंजूर किया जाता है। गरवारे वॉल रोप्स (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 22 और 29 को उस सीमा तक नामंजूर किया जाता है।"

65. अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि यदि दस्तावेज़ सम्यक या उचित रूप से स्टांपित नहीं है, तो यह साक्ष्य में अस्वीकार्य होगा लेकिन ऐसा दस्तावेज़ अमान्य या आरम्भ से ही अमान्य नहीं होगा। इसके अलावा, दस्तावेज़ की गैर-स्टांपित सुधार करने योग्य दोष है जिसका अर्थ है कि यदि लिखत सम्यक रूप से स्टांपित नहीं किया गया है तो कार्यवाही के दौरान यह स्टांपित किया जा सकता है।

66. 1899 अधिनियम की धारा 3 लिखत की तीन श्रेणियों का प्रावधान करती है जो शुल्क के साथ प्रभार्य होंगे और इसके अलावा परंतुक तीन अन्य श्रेणियों का भी प्रावधान करता है जिसमें कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

67. निस्संदेह, दस्तावेज़ यानी जून 2017 का एम.ओ.एम. स्टांपित नहीं है। साक्ष्य का चरण अभी आना बाकी है और न्यायालय सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 पर विचार करते हुए केवल इस आधार पर वादपत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ स्टांपित नहीं है क्योंकि इस प्रश्न पर तब विचार किया जाएगा जब दस्तावेज़ को जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की जाएगी। आदेश VII नियम 11 में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़, यदि स्टांपित नहीं है, तो उसे वाद के पंजीकरण से पहले/उस समय स्टांपित की जानी चाहिए।

68. इस स्तर पर न्यायालय इस प्रश्न में नहीं जा सकता है जो तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है कि क्या दस्तावेज़ (जून 2017 का एम.ओ.एम.)

स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है या नहीं। इसके अलावा उपरोक्त प्रश्न केवल तभी उठेगा जब दस्तावेज़ (जून 2017 का एम.ओ.एम.) को साक्ष्य के स्तर पर स्वीकार्यता के लिए रखा जाएगा।

69. श्री सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया अगला तर्क यह है कि वाद अवधिकाल से वर्जित है क्योंकि यह 3 साल की अवधिकाल के बाद दायर किया गया है।

70. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निगम ने कहा कि यह मामला निरंतर वाद हेतुक का मामला है क्योंकि हर महीने 5.61 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के कारण नया वाद हेतुक सामने आएगा। इसके अलावा, ***अवधिकाल के विस्तार के लिए संज्ञान (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को अवधिकाल के प्रयोजन से बाहर रखा गया है। अतः वाद समय-सीमा के भीतर है।

71. बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 29.06.2017 का है। जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुलग्नक-घ के अनुसार, नवंबर 2017 से फरवरी 2020 तक हर महीने 5.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। जून 2017 के एम.ओ.एम. के अनुसरण में, प्रतिवादीगण ने उस पर कार्रवाई की और नवंबर 2017 और जनवरी 2018 के महीने के लिए भुगतान किया और उसके बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया। प्रतिवादीगण को संबोधित दिनांक 13.05.2020 के कानूनी नोटिस के द्वारा, वादी ने भुगतान की मांग की क्योंकि प्रतिवादीगण ने जनवरी, 2018 से भुगतान नहीं किया था। प्रतिवादीगण ने भुगतान करने के किसी भी दायित्व का खंडन करते हुए 04.09.2020 को उपरोक्त सूचना का जवाब दिया। इसके बाद 13.12.2021 को वाद दायर किया गया।

72. ***गुजरात राज्य बनाम कोठारी एंड एसोसिएट्स, (2016) 14 एस.सी.सी. 761*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> *"11..... तथ्यात्मक मैट्रिक्स सतत उल्लंघन के बजाय क्रमिक या एकाधिक उल्लंघन की स्थिति प्रस्तुत करता है, क्योंकि अपीलकर्ता राज्य द्वारा नहर/स्थल को सौंपने में प्रत्येक देरी एक उल्लंघन के रूप में गठित होती है जो अपने आप में विशिष्ट और पूर्ण थी और एक अलग वाद हेतुक को जन्म देती थी जिसके लिए प्रतिवादी संविदा को विखंडित कर सकता था या संभवतः समय विस्तार करने और परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के कारण मुआवजे का दावा कर सकता था। बेशक प्रत्यर्थी इन सभी वाद हेतुक को एक वादपत्र में संयोजित करने में सक्षम है, जैसा कि सि.प्र.सं. में अभिगृहीत किया गया है बशर्ते कि प्रत्येक दावा अपने आप में न्यायोचित हो। यहाँ तक कि प्रतिवादी ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि वाद अपीलकर्ता राज्य द्वारा किए गए क्रमिक उल्लंघनों पर आधारित था। हमारी राय में, प्रत्येक उल्लंघन के तीन साल के भीतर वाद दायर किया जाना आवश्यक था, जो एक अलग वाद हेतुक संस्थापित करेगा। अनुच्छेद 55 विशेष रूप से कहता है कि लगातार उल्लंघनों के संबंध में, वह अवधि तब शुरू होती है जब उल्लंघन किया जाता है जिसके संबंध में वाद दायर किया जाता है। इस संबंध में, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाराजा ऑफ कासिमबाजार, चाइना क्ले माइन्स [रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाराजा ऑफ कासिमबाजार, चाइना क्ले माइन्स, आई.एल.आर. (1951) 1 कल. 420] उचित है क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई पक्षकार कुछ वर्षों की अवधि के लिए हर महीने कुछ वस्तुओं को वितरित करने के लिए सहमत होता है, तो किसी विशेष महीने में वितरण करने में*

विफलता के लिए उल्लंघन के लिए वाद हेतुक उस महीने के अंत में उत्पन्न होता है न कि अनुबंध की अवधि के अंत में।"

73. अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि वादी को सहमत राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक महीने नया वाद हेतुक उत्पन्न होगा। निस्संदेह, अंतिम भुगतान/किश्त 23 जनवरी, 2018 में किया गया था और तब से वादी को कोई भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, पहला वाद हेतुक फरवरी, 2018 में उत्पन्न हुआ आया, अतः वादी को फरवरी, 2021 को या उससे पहले वाद दायर करना आवश्यक था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अवधिकाल के विस्तार के लिए संज्ञान (पूर्वोक्त)*** में 15.03.2020 से 28.02.2022 तक के अवधिताकाल को निलंबित कर दिया। चूँकि वाद 13.12.2021 को दायर किया गया है, इसलिए वादी की वाद हेतुक का कोई भी भाग अवधिकाल द्वारा वर्जित नहीं है।

74. श्री सिंह ने आगे तर्क दिया कि आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. आवश्यक पक्षकारगण हैं, क्योंकि वे जून 2017 के एम.ओ.एम. के पक्षकारगण हैं, ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा किया गया है। यह वादपत्र में कहा गया है और ऊपर उल्लेख किया गया है कि इसोलक्स को एन.सी.एल.टी., चंडीगढ़ द्वारा 06.02.2020 को पारित आदेश के द्वारा परिनिर्धारित कर दिया गया था। इसी तरह, प्रतिवादी सं. 1 ने एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही दायर की है और दिनांक 16.07.2020 के आदेश के अनुसार, आई.आर.पी. नियुक्त किया गया।

75. इसलिए, आई.बी.सी. की धारा 331 सहपठित धारा 63 के आधार पर, किसी भी सिविल न्यायालय या प्राधिकरण के पास किसी भी मामले के संबंध में किसी भी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिस पर एन.एल.सी.टी. या एन.सी.एल.ए.टी. का अधिकार क्षेत्र है।

नतीजतन, आई.बी.सी. में निहित प्रावधानों को देखते हुए आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ कोई वाद नहीं होगा। वादी ने परियोजना के प्रमुख ऋणदाता होने के नाते प्रतिवादीगण के खिलाफ हर्जाने की मांग करते हुए वर्तमान वाद दायर किया है। मांगी गई डिक्री आइसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की अनुपस्थिति में पारित की जा सकती है।

76. ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा करना गलत है। मेरे उपरोक्त विवेचन को देखते हुए, मेरी राय है कि इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री पारित की जा सकती है।

77. श्री सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आग्रह किया था कि वादी फोरम शॉपिंग कर रहा है क्योंकि वादी ने जून 2017 के एम.ओ.एम. से उत्पन्न अपने दावे इसोलक्स के खिलाफ परिसमापक के समक्ष दायर किया है। इसके अलावा, वादी ने जून 2017 के एम.ओ.एम. से उत्पन्न अपने दावे भी एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ आई.आर.पी. के समक्ष दायर किया है। इसलिए, वादी विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, वादी ने स्वयं अपने वादपत्र में कहा है कि परिसमापक और आई.आर.पी. के समक्ष क्रमशः इसोलक्स और एस.ई.यू.पी.पी.टी.सी.एल. के खिलाफ दायर किए गए दावे जून 2017 के एम. ओ. एम. से उत्पन्न दावे नहीं हैं, बल्कि संविदा के तहत वादी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों और किए गए कार्यों के भुगतान और उसके द्वारा उठाए गए नुकसान के मुआवजे के दावे हैं। आदेश VII नियम 11 का निर्णय लेते समय, न्यायालय वादपत्र में किए गए प्रकथनों की शुद्धता की जांच नहीं कर सकती है और वादपत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे टुकड़ों में खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह मानते हुए भी कि श्री सिंह का तर्क स्वीकार कर लिया गया है, तब भी पक्षकारगण द्वारा वाद में किए गए दावों, आई.आर.पी. के समक्ष किए गए दावों और परिसमापक के समक्ष किए गए दावों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी।

78. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने आग्रह किया है कि वर्तमान वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(ग)(vi) की श्रेणी में नहीं आती है। अतः, इस न्यायालय को इस वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

79. सीसी अधिनियम, 2015 की धारा 2(1) (ग) (vi) निम्नानुसार हैः-

"2. परिभाषाएँ—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,–

(क) - (ख).....

(ग)-"वाणिज्यिक विवाद" का अर्थ है, – से उत्पन्न होने वाला विवाद

(i) - (v).....

(vi) निविदाओं सहित, निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबं;;"

80. ***ब्लू नाइल डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम मोव्वा चंद्र शेखर, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन ए.पी. 3964***, में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उपरोक्त खंड पर व्यापक रूप से विचार किया है। प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है-

"22. इसलिए उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि "विधायिका" ने विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक लेन-देनों को "वाणिज्यिक विवाद" के दायरे में लाने के लिए शामिल किया है, यदि उनमें

से किसी भी लेन-देन से कोई विवाद उत्पन्न होता है। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि विधायिका ने अधिनियम की धारा 2(1(ग) में (i) से (xxii) तक उपरोक्त खंडों को शामिल करते समय उचित सावधानी बरती है और उक्त प्रत्येक खंड के विस्तार पर भी शब्दों और वाक्यों के पूर्ण अर्थ को प्रभावित किए बिना उनकी पुनरावृत्ति से बचा है। इसलिए, या तो कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ देना या किसी खंड को अलग से पढ़ना और उक्त खंड में केवल एक शब्द का विस्तार करना उपरोक्त अधिनियम के लाभ के दायरे से कुछ श्रेणी के लेनदेन को निरस्त करके उक्त खंड की सार्थक परिभाषा को बाधित और विफल कर देगा, जो अन्यथा उक्त अधिनियम को लाने में विधायिका का अर्थान्वयन नहीं है।

23. उदाहरण के लिए, यदि हम अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के खंड (vi) की परिभाषा को केवल बुनियादी ढांचे के अनुबंधों तक सीमित रखते हैं, तो यह निर्माण अनुबंधों और निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंधों की श्रेणी को इसके दायरे से बाहर कर देगा।

24. मान लीजिए, यदि "निर्माण और अवसंरचना अनुबंध" को एक शब्द/एक वाक्य के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह निर्माण अनुबंधों और अवसंरचना अनुबंधों की श्रेणी को अलग-अलग कर के अपने दायरे से अलग कर देगा।

25. लेकिन यह उपरोक्त केंद्रीय अधिनियम का आशय नहीं है, जैसा कि अधिनियम के दायरे और उद्देश्य से स्पष्ट है। सभी प्रकार के वाणिज्यिक लेन-देन अधिनियम की धारा 2(1)(ग) में इस शर्त के साथ अधीन किए गए हैं कि यह विशेष न्यायालय/वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के उद्देश्य से अधिनियम के तहत निर्धारित निर्दिष्ट मूल्य को संतुष्ट करता है। इसके अलावा कि वाणिज्यिक लेन-देन की किसी भी श्रेणी को

उपरोक्त अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है जो उपरोक्त धारा और उसके खंडों को पढ़ने से स्पष्ट होता है।"

81. उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय के एक समन्वय पीठ द्वारा भी ***राज कुमार गुप्ता बनाम जगन नाथ बजाज, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 2995*** में भरोसा किया गया था।

82. दोनों पक्षकारगण के बीच विवाद की उत्पत्ति मैनपुरी में 765 के.वी./400 के.वी. ए. आई. एस. के साथ 765 के. वी. एस./सी. मैनपुरी, बारा लाइन के सबस्टेशन भाग की बिजली परियोजना और उत्तर प्रदेश राज्य में संबद्ध योजना/कार्य के निष्पादन से हुई है। वादी बिजली परियोजना के लिए सिविल कार्यों सहित डिजाइन, आपूर्ति, परिवहन, निर्माण, परीक्षण और चालू करने में लगा हुआ था।

83. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुबंधों के निष्पादन के अनुसरण में, वादी को देय राशि प्राप्त नहीं हो रही थी, परिणामस्वरूप, जून 2017 के एम.ओ.एम. को निष्पादित किया गया था। वादी का सोच बकाया प्राप्त करना था और प्रतिवादीगण का पारस्परिक सोच परियोजना के लिए अपने निवेश/ऋण की रक्षा करना था जिसे तब तक वसूल नहीं किया जा सकता था, जब तक कि ऊर्जाकरण नहीं हो जाता और परियोजना बिजली का उत्पादन शुरू नहीं कर देती। पक्षकारगण उप-स्टेशन स्थापित करने और बिजली प्रदान करने के लिए बिजली परियोजना पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

84. ***ब्लू नाइल डेवलपर्स (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में किए गए उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, मेरे अनुसार, विवाद *"निविदाओं सहित निर्माण और बुनियादी ढांचे के अनुबंधों"* के दायरे में शामिल होंगे।

85. **<u>निष्कर्ष</u>**

86. ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों को देखते हुए, इस स्तर पर, मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि वादपत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद हेतुक का खुलासा करने में विफल रहा है और इसे खारिज कर देना चाहिए। आवेदन खारिज की जाती है।

87. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर की गई टिप्पणियों का मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे केवल वर्तमान आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजन से प्रासंगिक हैं।

<u>सि.वा. (वाणि.) 648/2021</u>

88. 21.05.2024 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध की जाय।

जसमीत सिंह, न्या.

अप्रैल 26, 2024/(एम.एस.क्यू.)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*